

Subject: Online implementation of Sugarcane Commercial Crop under NFSM Scheme for the year 2021-22

1. **Section in which Scheme is activated:** प्रदर्शन प्लॉट- **Demonstration on Intercropping with Sugarcane**
Scheme Name: NFSM – National Food Security Mission (CC)
 2. **Program Name which needs to be activated:**
 3. **Demonstration on Intercropping with Sugarcane under NFSM (CC)**
 4. **Financial Year:** 2021-22
 5. **Start Date:** 10-11-2021
 6. **End Date:** 30-11-2021
 7. **Total Area Allocated (In hectare):** 260
 8. **Unit (Area Unit):** hectare.
 9. **Total Fund Allocated (INR):** Rs. 23.4 lakh
 10. **Assistance:** Rs. 8000/- per hectare.
 11. **Max Area Limit:** 1 hectare or 2.5 Acre
 12. **Extend Days (if any optional)**
 13. **Guidelines (PDF only):**
 14. **Notifications (PDF only)**
 15. **Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):** Aadhar Card, Voter Card, Mobile Number.
 16. **Activation date with time.**
 17. **Is there any limit on application coming from farmer side**
-
1. गन्ने के साथ मिश्रित फसल उगाने के लिए अधिकतम 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
 2. एक किसान को अधिकतम 1 हेक्टेयर गन्ने की बिजाई के लिए अनुदान दिया जाएगा।
 3. किसान को किसी एक मद के अन्तर्गत ही लाभ दिया जाएगा।
 4. योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।
 5. लाभ गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
 6. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए आप अपने सम्बन्धित गन्ना कृषि विकास अधिकारी/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन प्लॉट सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देखरेख में लगाए जाएंगे।
 7. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30-11-2021 है।
 8. किसान राज्य में Government/Semi Government/NGO/ Cooperative Societies/ Authorised dealers से कृषि सामग्री CCSHAU Hisar की समग्र सिफारिशों के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 9. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-
 - (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
 - (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।

ये विवरण एच0के0सी0एल0 को कृषि तथा किसान कल्याण हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.in किसान सुविधा पोर्टल पर लागू करने हेतू जा रहा है।

उक्त मद के लिए सहायक गन्ना विकास अधिकारी-वार भौतिक लक्ष्य, ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र व दिशानिर्देश एच0के0सी0एल0 को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyana.gov.in किसान सुविधा पोर्टल पर लागू करने बारे भेजे जाने है, जो निम्न प्रकार है:-

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान गन्ना (NFSM (CC-Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में Demonstrations on intercropping with sugarcane मद में प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु किसानों को इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिए जाएंगे। गन्ने की नोटिफाईड/सिफारिश की गई किस्मों की बिजाई की जाएगी।

उक्त मद में अनुदान लेने के ईच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाईट www.agriharayana.gov.in में Agri scheme Governance link पर अपना आवेदन दिनांक 30.11.2021 तक कर सकते हैं। किसान ऑफलाईन आवेदन करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र संबंधित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) /सहायक गन्ना विकास अधिकारी को 15.12.2021 तक जमा करवा सकते हैं।

**Additional Cane Commissioner
for Cane Commissioner, Haryana
Panchkula.**

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान गन्ना स्कीम 2021-22 के तहत Demonstration on intercropping with sugarcane के लिए कृषि सामग्री खरीदने हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र:-	
1	किसान का नाम:-
2	पिता/पति का नाम:-
3	माता का नाम:-
4	श्रेणी (सामान्य/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति):-
5	आधार कार्ड संख्या:-
6	मतदाता पहचान कार्ड संख्या:-
7	पता:- क) गांव:- ख) खण्ड:- ग) तहसील:- घ) जिला:- ड) पिन कोड:- च) मोबाईल नं०:-
8	जमीन का विवरण (कुल रकबा)
9	गन्ने की बिजाई क्षेत्र (एकड़ में):-
10	Demonstration on inter cropping with sugarcane.
11	सह फसल का नाम:-
12	सहायक गन्ना विकास अधिकारी के कार्यालय का नाम :-
13	बैंक खाते का विवरण:- (क) बैंक का नाम:- (ख) ब्रांच का नाम:- (ग) खाता संख्या:- (घ) IFSC कोड

तिथि:-

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह

किसान हेतू विशेष दिशा-निर्देश:-

1. गन्ने के साथ मिश्रित फसल उगाने के लिए अधिकतम 8000 रुपये प्रति हेक्टेयर इनपुट खरीदने के लिए अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
2. एक किसान को अधिकतम 1 हेक्टेयर गन्ने की बिजाई के लिए अनुदान दिया जाएगा।
3. किसान को किसी एक मद के अन्तर्गत ही लाभ दिया जाएगा।
4. योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी।
5. लाभ गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
6. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए आप अपने सम्बन्धित गन्ना कृषि विकास अधिकारी/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन प्लाट सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देखरेख में लगाए जाएंगे।

7. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30-11-2021 है। किसान ऑफलाईन आवेदन करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र संबंधित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) /सहायक गन्ना विकास अधिकारी को 15.12.2021 तक जमा करवा सकते हैं।
8. किसान राज्य में Government/Semi Government/NGO/ Cooperative Societies/Authorized Dealers से कृषि सामग्री CCSHAU Hisar की समग्र सिफारिशों के अनुसार चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-
- (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
- (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
10. Demonstrations on intercropping with sugarcane मद के अन्तर्गत लगाए जाने वाले प्रदर्शन प्लाटो के सहायक गन्ना विकास अधिकारी वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार से है:-

ACDO wise physical and financial targets under the NFSM(CC) scheme for the year 2021-22:-

Sr.No.	Name of ACDO	Demonstration on intercropping & single blue chip Technology with Sugarcane @ Rs 9000 per Hectare (Rs. 8000 for input & Rs 1000 for contingency)	
		Target	
		Phy. (in hac.)	Fin. (in lac)
1	Panipat	15	1.35
2	Rohtak	15	1.35
3	Karnal	20	1.8
4	Sonipat	15	1.35
5	Shahabad	20	1.8
6	Jind	15	1.35
7	Palwal	15	1.35
8	Meham	15	1.35
9	Kaithal	15	1.35
10	Gohana	15	1.35
11	Assandh	15	1.35
12	Y.Nagar	40	3.6
13	Naraingarh	15	1.35
14	Bhadson	15	1.35
15	Bhuna	15	1.35
	Total	260	23.4